सत्यमेव जयते

अध्यक्ष, लोक सभा

संदेश

कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से कोहिमा तक फैला हुआ विस्तृत भूभाग यदि भारत का शरीर है तो भारत की संसद इसका मस्तिष्क, भारत का संविधान इसकी आत्मा और विभिन्न भारतीय भाषाएँ इसकी वाणी हैं। संविधान सभा में समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मनीषियों ने विस्तृत चिंतन-मनन के पश्चात् सर्वसम्मति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ के सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में चुना। प्रारंभ में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में संघ का कामकाज करने में थोड़ी-बहुत समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ा किंतु समय के साथ-साथ समस्याएँ दूर होती चली गईं और हिंदी का प्रयोग सरलता और सुगमता से होने लगा।

अब समय आ गया है कि हम संघ का अधिकतम कामकाज हिंदी में करें और भारत की संसद के प्रमुख अंग के रूप में लोक सभा का यह विशेष कर्त्तव्य एवं दायित्व बनता है कि वह न केवल अपना कार्यालयीन कामकाज यथासंभव हिंदी में करे, अपितु सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों के साथ-साथ आम जनता के साथ भी हिंदी में पत्र-व्यवहार करे और देश एवं अन्य कार्यालयों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करे। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सरल, सुगम व सुबोध हिंदी का प्रयोग किया जाए।

हिंदी भारत की अधिकांश जनसंख्या की भाषा के रूप में पहले से ही सुशोभित है, अब जरूरत इस बात की है कि हिंदी को शासन की भाषा के रूप में भी स्थापित किया जाए, ताकि उसके व्यवहार से जनता में सम्मान की भावना पैदा हो। बदलते समय की यह माँग है कि इसे आधुनिक तकनीक की भाषा बनाया जाए, इसे सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में स्थापित किया जाए और सामाजिक संवाद माध्यमों में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जाए। संसद में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग इस लक्ष्य को अर्जित करने में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।

विश्व के सभी स्वाधीन देश अपना आंतरिक कामकाज अपने देश की भाषा में ही करते हैं। स्वाधीन भारत में यदि संघ के कार्यालयों का कामकाज हिंदी में तथा राज्यों का कामकाज राज्य की अपनी-अपनी राजभाषाओं में होगा तो यह हमारे देश के लिए गौरव की बात होगी। मैं आशा करती हूं कि लोक सभा सचिवालय इस प्रयास में अपना उल्लेखनीय योगदान देगा।

सुमित्रा महाजन

05-07-2014

(सुमित्रा महाजन)